न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 388/2022

अनवान : –

1. सोहनलाल पुत्र सुरजाराम जाति जांगिड़ साकिन थिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. गोपालराम
2. पतराम
3. महावीर
4. भगवानाराम

} पि0 रावताराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।

5. ओमप्रकाश
6. बद्रीप्रसाद
7. मोहनलाल

} पुत्रगण नौरंगलाल जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।

8. बनवारी
9. लिच्छुराम
10. हेतराम

} पुत्रगण फुसाराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।

11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
12. अधिशाषी अभियन्ता ई.गा.न. परियोजना रावतसर तहसील रावतसर।

– प्रतिवादीगण

13. कमला पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
14. शंकरलाल पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
15. जयसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांक:** 19/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 397/346 के ख0न0 443/2 की 2.4660 हैक्ट, ख0न0 6 की 3.9840 हैक्ट, ख0न0 659/4 की 1.3280 हैक्ट कुल 7.7780 हैक्ट भूमि स्थित है जिसमें सोहनलाल पुत्र सुरजाराम जाति जांगिड़ साकिन थिराना तहसील नोहर खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 257/342 के ख0न0 443/1 की 2.5290 हैक्ट ख0न0 659/1 की 1.2650 हैक्ट कुल 3.7940 हैक्ट भूमि जिसके गोपाल पुत्र रावताराम 3557/18970 हिस्सा व प्रतिवादी स0 2 अकेला 7113/37940 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 अकेला 7113/37940 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 अकेला 474/1897 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 171/345 के ख0न0 163/2 की 2.5290 हैक्ट ख0न0 659/3 की 1.26[illegible] हैक्ट भूमि कुल 3.7940 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 बहैसियत खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 162/162 के ख0न0 163/1 की [illegible]290 हैक्ट, ख0न0 6[illegible] की 0.506 हैक्ट कुल 3.0350 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 अकेला 5059/18970 हिस्सा, प्रतिवादी स0 9 अकेला

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:21:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

5059/18970 हिस्सा, प्रतिवादी स0 10 अकेला 10119/37940 हिस्सा, प्रतिवादी स0 13 अकेला 1517/7588 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खसरा न0 659 में से सड़क में 1.14 बिस्वा भूमि अवाप्त कर दी गई एवं इसी प्रकार से ख0न0 659 में से चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर में भी 2.16 बीघा भूमि अवाप्त कर ली गई एवं ख0न0 659 की 0.13 बिस्वा भूमि साहवा लिफ्ट के नहर के थिराना माईनर में आवाप्त कर ली गई इस प्रकार रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के ख0न0 659 की कुल 5.13 बिस्वा भूमि आवाप्त हो चुकी है।

रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के ख0न0 659 की 20.15 बीघा भूमि सुरजाराम पुत्र बस्तीराम जाति जांगिड़ साकिन थिराना तहसील नोहर के नाम दर्ज थी तथा उनकी फौतदगी के बाद उपरोक्त कृषि भूमि उनके वारिसान के नाम विरासतन दर्ज हुई परन्तु नहर एवं सड़क में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि में 4.12 बीघा भूमि बहिब कम करनी थी परन्तु वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम भूमि दर्ज है उसमें से 4.12 बीघा भूमि कम करके नहर के नाम दर्ज की जानी चाहिए। इसलिए रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 257/342 के ख0न0 443/1 की 2.5290 हैक्ट ख0न0 659/1 की 1.2650 हैक्ट कुल 3.7940 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 171/345 के ख0न0 163/2 की 2.5290 हैक्ट ख0न0 659/3 की 1.2650 हैक्ट भूमि कुल 3.7940 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 बहिब खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 162/162 के ख0न0 163/1 की 2.5290 हैक्ट, ख0न0 659/2 की 0.506 हैक्ट कुल 3.0350 हैक्ट भूमि एवं खाता संख्या 397/346 के ख0न0 443/2 की 2.4660 हैक्ट, ख0न0 6 की 3.9840 हैक्ट, ख0न0 659/4 की 1.3280 हैक्ट कुल 7.7780 हैक्ट भूमि स्थित यानि चारों खातों में से ख0न0 659 में से 4.12 बीघा भूमि नहर व सड़क के नाम दर्ज की जावें एवं वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 के नाम 19 हिस्सा कम की जावें।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि में से अवाप्त भूमि को चौ0 कुम्भाराम आर्य नहर एवं थिराना माईनर के नाम दर्ज करवा लेवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब दावा पेश किया जो कि शामिल मिसल किया गया है। वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पेश किया गया जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा ऐतराज जाहिर नही करने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 06 नियम 17 सीपीसी स्वीकार किया गया। [illegible] प्रतिवादी द्वारा संशोधित अर्जीदावा पेश किया गया की रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के ख0न0 659 की 20.15 बीघा सुरजाराम पुत्र बस्तीराम जाति जांगिड़ साकिन थिराना तहसील नोहर के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उनके वारिसान के नाम विरासतन दर्ज हुई परन्तु नहर एवं सड़क में वादी एवं प्रतिवादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:21:15 IST
Reason: SelfAttested

नाम दर्ज भूमि में 5.03 बीघा भूमि बहिब कम करनी चाहिए थी परन्तु वर्तमान मे वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम भूमि दर्ज है उनके नाम दर्ज भूमि में से 5.03 बीघा भूमि कम करके नहर के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी इसलिए रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 257/342 के ख0न0 443/1 की 2.5290 हैक्ट भूमि ख0न0 659/1 की 1.2650 हैक्ट कुल 3.7940 हैक्ट भूमि में से एवं रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 162/162 के ख0न0 163/1 की 2.5290 हैक्ट भूमि ख0न0 659/2 की 0.5060 हैक्ट भूमि कुल 3.0350 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 171/345 के ख0न0 163/2 की 2.5290 हैक्ट ख0न0 659/3 की 1.2650 हैक्ट कुल 3.7940 हैक्ट एवं रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 397/346 के ख0न0 443/2 की 2.4660 हैक्ट भूमि ख0न0 6 की 3.9840 हैक्ट भूमि ख0न0 659/4 की 1.3280 हैक्ट भूमि कुल 7.7780 हैक्ट भूमि यानी चारों खातो में से ख0न0 659 में से 5.09 बीघा भूमि नहर व सड़क के नाम दर्ज की जावे एवं वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम से 26 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 10 के नाम से 52 हिस्सा कम किया जावे इसलिए रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 397/346 के ख0न0 659/2 मे वादी के 25 हिस्सा एवं खाता संख्या 257/342 के ख0न0 659/1 में से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के 26 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 171/345 के ख0न0 659/3 की भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 के 26 हिस्सा व खाता संख्या 162/162 के ख0न0 659/2 की भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 के 26 हिस्सा कुल 5.03 बीघा भूमि चौ0 कुम्भाराम आर्य नहर एवं थिराना माईनर के नाम दर्ज की जावे इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 12 अधिशाषी अभियंता ई.गा.न. परियोजना रावतसर ने जवाब पेश किया की रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खसरा न0 659 में से सड़क में 1.14 बीघा भूमि इसी प्रकार खसरा न0 659 में चौ0 कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर के लिए 2.16 बीघा भूमि अवाप्त होना इसी खसरा नम्बर 659 की 0.13 बिस्वा भूमि साहवा लिफ्ट नहर की थिराना माईनर मे सकुल 5.03 बीघा भूमि अवाप्त होने का जो विवरण अंकित है वह रिकार्ड अनुसार सही है। उक्त अवाप्त भूमि का नियमानुसार मुआवजा संबंधित कृषकों को अंतिम अवार्ड जारी होने के बाद दिया जा चुका है। किसी कारणवश इस अवाप्त शुदा भूमि का राजस्व अभिलेख में अंकन प्रतिवादी संख्या 12 के पक्ष में निष्पादित नही हुआ है। अतः दर्ज किया जा सकता है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:21:15 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है उक्त भूमि में से खसरा न0 659 की 5.03 बीघा भूमि अवाप्त हो चुकी है लेकिन अब तक दर्ज नही हुई है अतः कुल 5.03 बीघा भूमि चौ0

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कुम्भाराम आर्य नहर एवं थिराना माईनर के नाम दर्ज की जावे। वादी के वाद के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा सहमति/ईकबाल जवाब दावा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में रिकार्ड के अनुसार उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खसरा न0 659 की 5.03 बीघा भूमि अवाप्त हो चुकी है लेकिन अब तक दर्ज नही हुई है अतः कुल 5.03 बीघा भूमि चौ0 कुम्भाराम आर्य नहर एवं थिराना माईनर के नाम दर्ज करवाना चाहते है। वादी द्वारा प्रस्तुत चित्रप्रति अवाप्ति आदेश एवं चित्रप्रति नामान्तरण से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि मे सें 5.03 बीघा भूमि अवाप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 12 अधिशाषी अभियंता ई.गा.न द्वारा जवाब पेश किया गया है कि उक्त रकबा अवाप्त हुआ है अवाप्त रकबे का कृषकों को अंतिम अवार्ड दिया जा चुका है लेकिन भुलवंश अब तक राजस्व रिकार्ड में उक्त रकबा दर्ज नही हुआ है अतः उक्त रकबा दर्ज किया जाना सही है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 397/346 के ख0न0 659/4 मे वादी के 25 हिस्सा एवं खाता संख्या 257/342 के ख0न0 659/1 में से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के 26 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 171/345 के ख0न0 659/3 की भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 के 26 हिस्सा व खाता संख्या 162/162 के ख0न0 659/2 की भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 के 26 हिस्सा कुल 5.03 बीघा भूमि चौ0 कुम्भाराम आर्य नहर एवं थिराना माईनर के नाम दर्ज की जाती है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19.12.23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:21:15 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 388/2022

अनवान : –

1. सोहनलाल पुत्र सुरजाराम जाति जांगिड़ साकिन थिराना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. गोपालराम
2. पतराम
3. महावीर
4. भगवानाराम

} पि० रावताराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।

5. ओमप्रकाश
6. बद्रीप्रसाद
7. मोहनलाल

} पुत्रगण नौरंगलाल जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।

8. बनवारी
9. लिच्छुराम
10. हेतराम

} पुत्रगण फुसाराम जाति सुथार निवासी थिराना तहसील नोहर।

11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
12. अधिशाषी अभियन्ता ई.गा.न. परियोजना रावतसर तहसील रावतसर।

– **प्रतिवादीगण**

13. कमला पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
14. शंकरलाल पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
15. जयसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 388 सन 2022 निर्णय दिनांक 19/12/2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं वकील प्रतिवादी श्री सुबोध शर्मा की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 397/346 के ख0न0 659/4 मे वादी के 25 हिस्सा एवं खाता संख्या 257/342 के ख0न0 659/1 में से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के 26 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 171/345 के ख0न0 659/3 की भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 के 26 हिस्सा व खाता संख्या 162/162 के ख0न0 659/2 की भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 के 26 हिस्सा कुल 5.03 बीघा भूमि चौ0 कुम्भाराम आर्य नहर एवं थिराना माईनर के नाम दर्ज की जाती है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:21:15 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर